

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक/कार्मिक
गोरखपुर

संख्या- NER-HQ0PERS(SELB)/1/2024-DY CPO/GAZ/HQ/NER (114126) दिनांक: 08.10.2024

सचिव/स्थापना, सलाहकार/निदेशक/सतर्कता, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, लालबाग बड़ोदरा।

महानिदेशक, आरडीएसओ, लखनऊ एवं महाप्रबन्धक, रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज।

महाप्रबन्धक/बनारस लोकोमोटिव/बनारस, नियंत्रक अधिकारी/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी।

सचिव/महाप्रबन्धक एवं अपर महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।

सचिव/सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

सभी वमंकाधि/मंरेप्र/अमंरेप्र/वमंई-समन्वय/मुख्य परियोजना प्रबन्धक (गतिशक्ति), पूर्वोत्तर रेलवे।

मुख्यालय/मंडल/मंडलेत्तर ईकाई के सभी कार्मिक, एवं इंजीनियरिंग अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे।

सभी निदेशक/प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्वोत्तर रेलवे एवं रेलवे वेबसाईड प्रति।

विषय:-विशेष अभियान के अन्तर्गत सहायक इंजीनियर (ग्रुप-बी), 30 प्रतिशत (एलडीसीई) कोटा के विरुद्ध चयन के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-इस कार्यालय का समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22.03.2024 ।

विशेष अभियान के अन्तर्गत सहायक इंजीनियर, (संरक्षा कोटि) ग्रुप-बी, 30 प्रतिशत, (एल.डी.सी.ई.) लेवल-8 के पद पर पदोन्नति हेतु कुल 02 (दो) (01 अनारक्षित एवं 01 अ0ज0जा0) पदों की नामिका बनाने के लिए CBT Mode से NAIR द्वारा सम्पन्न ऑनलाईन लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 09.09.2024 एवं मौखिक परीक्षा दिनांक 03.10.2024 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित अभ्यर्थी चयन समिति द्वारा सहायक इंजीनियर, ग्रुप-बी, 30 प्रतिशत कोटा के रिक्ति के विरुद्ध नामिका में रखने हेतु अनन्तिम रूप से योग्य पाये गये हैं :-

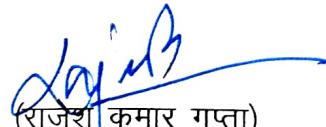
क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	पदनाम एवं कार्यस्थल	चयन समुदाय
1	श्री निशांत कुमार सिंह	जेई/पीवे/गाजीपुर सिटी।	अनारक्षित
2	श्री देशराज मीना (अ.ज.जा.)	सीसेई/पीवे/इज्जतनगर।	अ.ज.जा.
केवल-02 (दो) नाम मात्र			

उपरोक्त अनन्तिम नामिका मेरिट क्रम के अनुसार है।

नोट:- रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या-2018/E (SCT)1/25/9 dt.22.06.2022 में निहित निर्देशों के आलोक में उपरोक्त नामिका माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर श्री जरनैल सिंह बैच के मामले में जारी अन्तिम आदेश के अध्ययधीन होगी।

उपरोक्त अनन्तिम नामिका महाप्रबन्धक महोदया द्वारा दिनांक 07.10.2024 को अनुमोदित है।

सम्बन्धित कर्मचारी को तदनुसार सूचित कर दिया जाय।


(राजेश कुमार गुप्ता)
अध्यक्ष/आरआरसी
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक